<u>न्यायालय — सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

वि.आप.प्रक.कमांक-01/2015 संस्थित दिनांक-05.01.2015 फाईलिंग नम्बर-234503000062015

1—श्रीमती हेमा लाहोरी उम्र 28 वर्ष पिता अवतार लाहोरी,
2—उदेश लाहोरी उम्र 03 वर्ष पिता अवतार लाहोरी,
ना.बा.वली मॉ श्रीमती हेमा लाहोरी पित अवतार लाहोरी,
जाति बाल्मिक दोनो निवासी वार्ड नं.4, नरिसंगटोला बैहर,
हा.मु. वार्ड नं.08 चालीस क्वाटर बैहर, थाना व तहसील बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

// <u>विरूद</u> //

अवतार लाहोरी उम्र 35 वर्ष पिता करतार सिंह लाहोरी, जाति बाल्मिक निवासी वार्ड नं.04 नरसिंगटोला बैहर, थाना बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — <u>अनावेदक</u>

// <u>आदेश</u> // (आज दिनांक—03/03/2016 को पारित)

- 1— इस आदेश द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—125 दण्ड प्रक्रिया संहिता वास्ते भरण—पोषण राशि दिलाये जाने बाबद् का निराकरण किया जा रहा है।
- 2— प्रकरण में यह महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य है कि आवेदिका क्रमांक—1, अनावेदक की वैध विवाहिता पत्नी है तथा उनके दाम्पत्य जीवन के संसर्ग से आवेदक क्रमांक—2 उत्पन्न हुआ।
- 3— आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में यह है कि अनावेदक से आवेदिका क्रमांक—1 का विवाह होने के पश्चात् अनावेदक व उसके परिवार ने कुछ दिन ठीक से रखा व उसके बाद उसको मारपीट कर प्रताड़ित करना प्रारम्भ कर दिया। अनावेदक व उसके परिवार बालों ने कम दहेज लाने पर उसे परेशान करने लगे और दहेज में चार लाख रूपये और मोटरसाईकिल की मांग करने लगे। आवेदिका को अनावेदक फरवरी 2013 तक अपने पास रख कर दहेज की मांग को लेकर मारपीट व प्रताड़ित करता रहा और उसके बाद घर से निकाल दिया। आवेदिका क्रमांक—1 विवश होकर आवेदक क्रमांक—2 को लेकर मायके में निवासरत् है। अनावेदक ने मई 2014 में

ग्राम बिठली की ज्योति भगरते नामक महिला को अपनी पत्नी बनाकर रख लिया है। अनावेदक ने उक्त के पश्चात् आवेदकगण के भरण—पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की है। आवेदिका कमांक—1 के पास आय का कोई जिरया नहीं है। आवेदिका को स्वयं के एवं आवेदक कमांक—2 के भरण—पोषण हेतु प्रतिमाह 12,000/—रूपये का खर्च आता है, जिसे वहन करने में वह असमर्थ है। अनावेदक साधन सम्पन्न व्यक्ति है तथा उसके पिता सेवा निवृत बी.एम.ओ है, जिससे उन्हें 20,000/—रूपये पेंशन प्राप्त होती है। अनावेदक ठेकेदारी से 30,000/—रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करता है। अतएव आवेदिका कमांक—1 को 7000/—रूपये एवं आवेदक कमांक—2 को 5000/—रूपये प्रतिमाह भरण—पोषण राशि अनावेदक से दिलायी जावे।

4— अनावेदक ने उक्त आवेदन के जवाब में स्वीकृत तथ्य को छोड़कर आवेदन के सम्पूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुये व्यक्त किया है कि आवेदिका स्वयं अनावेदक के साथ उसके संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती और परिवार से अलग रहने का दबाव बनाकर दहेज प्रकरण में झूठा फंसाने की धमकी देती थी। आवेदिका कमांक—1 अपने पुत्र को लेकर बिना किसी कारण के मायके में निवासरत् है। अनावेदक के विरूद्ध आवेदिका ने दूसरी पत्नी बनाकर रखने का झूठा आरोप लगाया है अनावेदक एवं उसके परिवार ने आवेदिका से दहेज की मांग नहीं की है। अनावेदक एवं उसके एक पुत्र का भरण—पोषण अनावेदक के पिता ही कर रहे है तथा अनावेदक वर्तमान में बेरोजगार है। अनावेदक आज भी आवेदिका और उसके पुत्र को रखने के लिये तैयार है। अतः आवेदकगण का आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किया जावे।

5— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :--

- 1. क्या आवेदिका क्रमांक—1 पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक रह रही है ?
- क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होकर आवेदकगण के भरण—पोषण में उपेक्षा बरत् रहा है ?
- 3. क्या आवेदकगण, अनावेदक से प्रतिमाह भरण-पोषण राशि प्राप्त करने के हकदार है ?

विचारणीय बिन्दु क ना से 3 पर एक साथ सकारण निष्कर्ष :-

6— आवेदिका हेमा लाहोरी (आ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में उसके आवेदन पत्र के अनुरूप कथन करते हुये व्यक्त किया है कि अनावेदक अवतार लाहोरी से उसका विवाह दिनांक—14.12.2004 को जाति रीति—रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। शादी के बाद वह अपने पति अवतार लाहोरी के घर नरसिंगटोला में बतौर पत्नी के रूप में रहने लगी। अनावेदक ने उसे छः वर्ष ठीक से रखा और उसके बाद अनावेदक के माता—पिता उससे दहेज की मांग करने लगे और कहने लगे कि चार लाख रूपये लेकर

आ तब ही रखेंगे तथा नहीं देने पर प्रताड़ित करने लगे उसके बाद अनावेदक जबलपुर चला गया उस दौरान भी अनावेदक के माता—पिता उससे दहेज की मांगनी को लेकर कहने लगे कि वह दहेज में सामान लेकर आये तब रखेंगे। अनावेदक जबलपुर से वापस आया और पैसे की मांग करने लगा। अनावेदक फिर मलाजखण्ड हॉस्पिटल में काम करने लगा वहां पर भी दहेज की बात पर से प्रताड़ित करने लगा। उसके बाद अनावेदक ज्योति नामक लड़की को पत्नी बनाकर नरसिंगटोला मे निवास कर रहा है। उसके बाद से अनावेदक उसके मायके उसे कभी लेने नहीं गया। वह अपने बच्चे के साथ मायके में ही निवास करती है। अनावेदक ने उसके जेवरातों को भी रख लिया है। अनावेदक उसके एवं उसके पुत्र उदेश के लिये कोई भरण—पोषण की व्यवस्था नहीं कर रहा है। अनावेदक के पिता को प्रतिमाह बीस हजार रूपये पेंशन मिलता है। अनावेदक के पास एक एकड़ भूमि भी है। उकवा में अनावेदक नौकरी करता है। महीना में लगभग तीस हजार रूपये अनावेदक को आय होती हैं। उसका 7000/—रूपये एवं उदेश को 5000/—रूपये का खर्चा आ जाता है, जिसे अनावेदक प्रतिमाह देने में सक्षम है।

आवेदिका साक्षी प्रकाश वोहत (आ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये है कि आवेदिका उसकी लडकी है तथा अवतारसिंह उसका दामाद है एवं आवेदिका क्रमांक-2 उसका नाती है। आवेदिका एवं अनावेदक का विवाह वर्ष 2004 में जाति रीति–रिवाज के अनुसार चालीस मकान बैहर में सम्पन्न हुआ था। शादी के उपरान्त आवेदिका बतौर पत्नी बनकर नरसिंगटोला गई। शादी के छः वर्ष तक अच्छे से रखने के बाद अनावेदक आवेदिका को मारपीट करने लगा। अनावेदक आवेदिका से दहेज में दो लाख रूपये नगद एवं मोटरसाईकिल की मांग करने लगा। आवेदिका को अनावेदक छोड़कर कही भी भाग जाता था बाद में उन्हें थाने के द्वारा जानकारी हुई कि अनावेदक बिठली में रहने वाली ज्योति भगरते की लड़की को लेकर भाग गया है। उसके बाद अनावेदक तीन माह बाद वापस अपने घर लड़की को लेकर आ गया और वर्तमान में भी लड़की उसके साथ में है, साथ में रह रहे हैं। कैसे साथ में रह रहे है वह नहीं जानता है। आवेदिका उसके घर में उसके साथ तीन साल से रह रही है। आवेदिका के साथ में आवेदिका एवं अनावेदक का बच्चा उदेश भी उसके साथ में रह रहे है। अनावेदक ने आवेदकगण के भरण-पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की है। आवेदकगण को प्रतिमाह दस हजार रूपये का खर्चा आ जाता है। अनावेदक आवेदिका को दस हजार रूपये प्रतिमाह अदा करने में सक्षम है। अनावेदक के पिता को बीस हजार रूपये मासिक पेंशन प्राप्त होती है और एक एकड़ भूमि भी है। अनावेदक नौकरी करता है।

8— आवेदिका साक्षी वीरन वोहत (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये है कि वह आवेदिका एवं अनावेदक तथा आवेदक क्रमांक—2 को जानता है। आवेदिका चालीस मकान बैहर में रहती है और वह भी चालीस मकान बैहर में रहता है। आवेदिका एवं अनावेदक का विवाह 14.12.2004 को चालीस मकान बैहर में सम्पन्न हुआ था। आवेदिका एवं अनावेदक के मध्य विवाह जाति रीति—रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। विवाह उपरान्त आवेदिका बतौर पत्नी बनकर अनावेदक के घर नरसिंगटोला बैहर चली गई, चार—पांच साल तक आवेदिका अपने ससुराल अच्छे से रही और उसके बाद अनावेदक, आवेदिका को मारने पीटने लगा, मारपीट करने के बाद दहेज में चार लाख रूपये की मांगनी करने लगा। आवेदिका को मारपीट कर चालीस मकान बैहर में लाकर के उनके मॉ—बाप के घर छोड़ दिया। उसके बाद अनावेदक भण्डेरी की दूसरी लड़की ला लिया। अनावेदक के साथ भण्डेरी की लड़की उसके घर में वर्तमान में भी अनावेदक की पत्नी बनकर रह रही होगी। अनावेदक ने आवेदकगण के भरण—पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की है। आवेदकगण को प्रतिमाह छः—सात—आठ हजार रूप्ये तक का खर्च आ जाता है जिसे अनावेदक प्रतिमाह अदा करने में सक्षम है। अनावेदक के पास एक एकड़ भूमि है। अनावेदक के पिता को पेंशन भी मिलती है। अनावेदक भी कमाता है। अनावेदक हष्ट पुष्ट व्यक्ति है।

- 9— आवेदिका की ओर से प्रस्तुत उक्त साक्ष्य का खण्डन अनावेदक की ओर से महत्वपूर्ण रूप से नहीं किया गया है। आवेदिका ने अपनी साक्ष्य में अनावेदक के पास कृषि भूमि होने के संबंध में एवं अनावेदक के नौकरी में होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है। अनावेदक ने आवेदिका की मौखिक साक्ष्य के खण्डन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है और न ही स्वयं के कथन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किये है। इस प्रकार अनावेदक की ओर से कोई साक्ष्य पेश न करने से उसके विरुद्ध प्रतिकुल उपधारणा की जा सकती है। आवेदिका की मौखिक साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह प्रकट होता है कि आवेदिका कमांक—1, अनावेदक से पर्याप्त कारण से पृथक निवासरत् है।
- 10— आवेदिका की मौखिक साक्ष्य से अनावेदक एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति होकर आय अर्जित करने में सक्षम व्यक्ति होना प्रकट होता है। अनावेदक के द्वारा मजदूरी कर शासकीय दर से रोजाना आय प्राप्त होने के आधार पर उसकी प्रतिमाह 6000/— (छ: हजार रूपये) आय प्राप्त होने की उपधारणा की जा सकती है।
- 11— प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से अनावेदक के द्वारा आवेदकगण को उनके भरण—पोषण हेतु कोई व्यवस्था किया जाना प्रकट नहीं होता है। अनावेदक का आवेदकगण के भरण—पोषण करने का विधिक दायित्व है, जिससे वह बच नहीं सकता।
- 12— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता हैं कि आवेदिका पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक रह रही है तथा अनावेदक पर्याप्त

साधनों वाला व्यक्ति होकर आवेदकगण के भरण-पोषण में उपेक्षा बरत रहा है। इस कारण आवेदकगण, अनावेदक से प्रतिमाह भरण-पोषण राशि प्राप्त करने के हकदार है। आवेदकगण को अनावेदक की पत्नी एवं संतान के रूप में ऐसे जीवन स्तर के निर्वहन का अधिकार है, जो कि न तो विलासिता पूर्ण हो और न ही अभाव ग्रस्त, बल्कि वे अनावेदक के सामाजिक स्तर व चरित्र के अनुसार सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके।

उपरोक्त संपूर्ण कारणों से आवेदकगण का आवेदन पत्र अन्तर्गत 13-धारा–125 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर पक्षकारगण के सामाजिक व जीवनयापन स्तर तथा वर्तमान परिस्थित को दृष्टिगत रखते हुए अनावेदक को आदेशित किया जाता है कि भरण-पोषण के रूप में आवेदिका क्रमांक-1 को राशि 800/-(आठ सौ रूपये) तथा आवेदक क्रमांक-2 को राशि 700 / -(सात सौ रूपये) प्रतिमाह आदेश दिनांक से अदा करे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, J. JenJ. Jen जिला-बालाघाट